क्यों भरोसा करते हो आप गैरो पर, चलना है आपको सिर्फ अपने पैरों पर।
– अज्ञात

महामारी और तैयारी

कोरोना को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूरता फैलाने की जरूरत है। लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, यह सुनिश्चित करना होगा क्योंकि वॉट्सऐप और अन्य माध्यमों से इसे लेकर अजीबोगरीब सुझाव दिए जाने लगे हैं।

अनिल शाह।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस को पैनडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है। महामारी का नाम आधिकारिक रूप से उस बीमारी को दिया जाता है जो एक ही समय में दुनिया के अलग–अलग देशों में फैल रही हो। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष डॉ. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोस ने कहा है कि वह अब कोरोना वायरस के लिए महामारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वायरस को लेकर निष्क्रियता चिंताजनक है। इससे पहले साल 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। अनुमान है कि स्वाइन फ्लू की वजह से कई लाख लोग मारे गए थे। जहां तक कोरोना वायरस या कोविड 19 का प्रश्न है तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक 114 देशों में अब तक 126,000 मामले सामने आए हैं। भारत में भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां 17 विदेशी मरीजों समेत कुल 73 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।

भारत ने इसके शुरुआती मामले सामने आने के साथ ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी और अब अपनी तैयारी और बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक अहम बैठक में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 15 अप्रैल तक सभी वीजा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। और तो और, ओसीआई कार्डधारकों (प्रवासी भारतीय नगरिकों) को दी जाने वाली वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा पर भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि 15 फरवरी के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से भारत आए सभी यात्रियों को कम से कम 14 दिन तक अलग–थलग रखा जाएगा। इसमें वे भारतीय नागरिक भी शामिल होंगे जो इन देशों में घूमने गए थे। साथ ही सरकार ने सभी को हिदायत दी है कि बेहद जरूरी न होने पर वे भारत न आएं।

सरकार का कहना है कि भारत आने पर उन्हें कम से कम 14 दिनों के क्वैरंटाइन में रहना पड़ सकता है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि आवश्यक न होने पर वे विदेश न जाएं, क्योंकि उन्हें देश लौटने पर कम से कम दो सप्ताह तनहाई में बिताने पड़ेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रों और जरूरी काम से बाहर जाने वालों की जल्दी जांच की जाएगी और संक्रमण न होने की सूरत में उन्हें विदेश जाने दिया जाएगा, लेकिन लौटने पर उन्हें क्वैरंटाइन में रखा जा सकता है।

सरकार ने कहा है कि सड़क के रास्ते देश में आने–जाने वालों की जांच के लिए सीमा पर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य जांच की उचित व्यवस्था की जाएगी। कोरोना को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूरता फैलाने की जरूरत है। लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, यह सुनिश्चित करना होगा क्योंकि वॉट्सऐप और अन्य माध्यमों से इसे लेकर अजीबोगरीब सुझाव दिए जाने लगे हैं। लोग अपने आप तरह–तरह के उपचार करने लगे हैं। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के अलावा मास्क तथा सैनिटाइजर जैसी चीजें आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करनी होगी।

योजना

अशोक वोहरा।

रेडिसन होटल ग्रुप के एमडी और वीपी ऑपरेशन जुबिन सक्सेना कहते हैं कि हरिद्वार, वाराणसी और अमृतसर में इस ग्रुप के होटल पहले से ही मौजूद हैं और वह कटरा और ध र्मशाला में भी इस तरह के होटल लाने की सोच रहे हैं।

थॉमस कुक की एक सहायक ब्रांच जो कि चेन्नई में स्थित है, स्टर्लिंग हॉलीडे, यह 2024 तक अपने मौजूदा कमरों की संख्या को 5 हजार तक करने की योजना बना रहा है। इस ब्रांच ने पिछले साल ही दक्षिण भारत में गुरुवायुर टेंपल टाउन में अपनी एक ब्रांच लॉन्च की है। स्टर्लिंग हॉलीडेज के चेयरमैन रमेश रामनाथन कहते हैं कि हमने अपने हॉलीडे प्लॉन को फिर से बनाया है क्योंकि अब लोग ज्यादा छुट्टियां ले रहे हैं। लोग अब धार्मिक जगहों पर जाने के लिए अलग से समय निकाल रहे हैं।

धर्म-दर्शन

संपादकीय

और अब बिगड़ा खेल

कोराना वायरस ने खेलों पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में कहीं टूर्नामेंट स्थगित किए जा रहे हैं, तो कहीं खिलाड़ियों को दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में खेलना पड़ रहा है। यह सिलसिला अब भारत तक भी पहुंच गया है और यहां कुछ बड़े खेल आयोजनों को गहरा झटका लगा है। कोरोना की वजह से जहां एक ओर दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली वन डे सीरीज के बाकी दोनों मैच रद्द करने पड़े हैं, वहीं 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है (खबर पढ़ें)। जाहिर है, क्रिकेट प्रेमियों को इससे मायूसी हुई है। आईपीएल हमारे यहां महज एक खेल आयोजन नहीं है। वह तफरीह का पूरा एक पैकेज है, जिसमें कोई परिवार एक सुखद शाम गुजारकर पिकनिक की संतुष्टि प्राप्त करता है। करोड़ों लोग अपने घर में टीवी पर इसका लुत्फ उठाते हैं, सो अलग। आलम यह रहता है कि इस दौरान सारी बड़ी फिल्मों की रिलीज टाल दी जाती है। बहरहाल, कोरोना के जोखिम को देखते हुए ऐसे आयोजनों को स्थगित करना जरूरी है। खेल मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को परामर्श जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी खेल आयोजन में दर्शकों की उपस्थिति ना रहे। एक स्टेडियम में चालीस से पचास हजार तक लोग जमा होते हैं। वहां वायरस से प्रभावित एक भी व्यक्ति की उपस्थिति न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिजनों, पड़ोसियों को भी बीमार कर सकती है। इतनी बड़ी भीड़ में सबका परीक्षण आसान नहीं है इसलिए खेल समेत सभी सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई जा रही है।

कांग्रेस नेतृत्व चाहता, तो समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद स्थिति और विषम हो गई।

सिंधिया की बगावत

आरती शर्मा।

मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से कांग्रेस बिखर गई है। दरअसल यह इस टूट का एक प्रतीक भर है, दरार तो समूची कांग्रेस की भीतरी परतों में स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के भीतर नैसर्गिक रूप से नेतृत्व का हस्तांतरण ना होने से कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। कमोबेश कांग्रेस में ऐसी ही स्थिति हर उस राज्य और इकाई में दिखाई दे रही है, जहां युवा बनाम वरिष्ठ के बीच नेतृत्व का संघर्ष जारी है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में इसलिए नाराज थे कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही इस बात का ख्याल रखा कि सिंधिया समर्थकों को सत्ता का लाभ न मिलने पाए। कांग्रेस नेतृत्व चाहता, तो समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर सकता था। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद स्थिति और विषम हो गई। नाराजगी बढ़ती गई, दरार गहराती गई और सत्ता के मुहाने पर बैठी भाजपा ने इसका लाभ उठा लिया।

राजनीति में ऐसा होता रहा है, परंतु सवाल यह है कि क्या सिंधिया भाजपा में जाकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरह सिंधिया कांग्रेस में समूचे मध्यप्रदेश के सर्वमान्य नेता थे, क्या भाजपा में उन्हें यह सम्मान मिल पाएगा? सवाल यह भी है कि ग्वालियर–चंबल संभाग में पहले से मौजूद भाजपा नेताओं की एक मजबूत पंक्ति उन्हें अपना नेता स्वीकार कर पाएगी?

खासकर तब जब इन नेताओं की राजनीति का आधार वर्षों से सिंधिया विरोध ही रहा है। वैसे भी, भाजपा में सिंधिया घराने को उनके कद के मुताबिक सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं मिली। बहरहाल, मध्यप्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा, इस बात का अंदाजा कांग्रेस में सभी को था। संख्या बल भी इतना मजबूत नहीं था कि निश्चिंत होकर बैठा जा सके। ऑपरेशन लोटस की संभावनाएं पल प्रतिपल बनीं हुई थीं। बावजूद उसके कांग्रेस ने सब कुछ कमलनाथ के भरोसे क्यों छोड़ दिया? यह सच है कि कांग्रेस का वैचारिक धरातल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इसमें और गिरावट आई है। ऐसे में युवाओं की महत्वकांक्षा को संभाले रखना कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि युवा ही कांग्रेस के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। बुजुर्ग कांग्रेसियों का जमघट नए और युवा कांग्रेसियों स्वीकारने को तैयार नहीं है, वह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हालत ठीक वैसी ही है जैसी मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ के बीच थी। लिहाजा युवा नेतृत्व किस दिशा में सोच रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को जल्द ही हवा के इस रुख को भांपना होगा।

अष्टयोग-4932

	3		1		2	
3	29	6	37		31	1
	2			5	6	
5	30	1	30	4	31	6
	6				3	2
2	33	4	31	3	30	7
	1		5		4	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4931 का हल

7	6	1	4	2	3	5
2	28	4	33	7	35	4
1	2	5	6	4	7	3
5	28	3	38	6	34	1
4	2	6	3	5	1	7
3	31	2	31	1	30	6
6	1	7	4	3	5	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

1920 का दशक

मोहन। भड़काऊ बयान सभी समुदायों की ओर से आए– 'गोली मारो सालों को' से लेकर '100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी' तक। इसके अलावा कई अन्य छिटपुट बयान हैं। शरजील इमाम का असम को काटने वाला बयान सीधा–सीधा देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। हेट स्पीच (घृणा फैलाने वाला भाषण) को भारतीय दंड विधान में एक संज्ञेय अपराध मानते हुए धारा 295–क के रूप में 1928 में जोड़ा गया। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, भले ही उससे हिंसा हुई हो या नहीं। दिल्ली में भयंकर दंगे हुए। इसलिए मामला केवल घृणा फैलाने वाले भाषण का नहीं है। हेट स्पीच तथा भड़काऊ भाषण में फर्क है। भारतीय दंड विधान की धारा 153–क के तहत 'धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म–स्थान, निवास–स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना' अपराध है। फिर धारा 295–क को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए 1920 के दशक में जाना होगा जब दो बड़ी घटनाओं ने सांप्रदायिक सौहार्द को बुरी तरह बिगाड़ा था।